भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *327

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

3 चैत्र, 1947 (शक)

ग्रामीण/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाएं

†*327. श्री अ. मनि:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी स्वदेशी/पारंपरिक खेल विधाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल ग्रामीण और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की विद्यालयी छात्रों की प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उपयुक्त अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में किसी समर्पित खेल सुविधा के लिए कोई योजना तैयार कर रही है, यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

ग्रामीण/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाएं के संबंध में श्री अ. मनि, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 24.03.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *327 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) खेलो इंडिया स्कीम के 'ग्रामीण और देशज/जनजातीय खेलों का संवर्धन' उप घटक के तहत मलखंभ, क्लारिपयाट्टू, गतका, थांग-टा, योगासन और सिलंबम नामक कुल छह देशज खेलों/विधाओं की पहचान की गई है और इन्हें खेलो इंडिया गेम्स का हिस्सा बनाया गया है।

(ख) से (घ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण एससी/एसटी/ओबीसी बहुल ग्रामीण और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाना ताकि इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, स्कूली छात्रों की प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए उपयुक्त अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा देश में किसी भी समर्पित खेल सुविधा के लिए कोई योजना तैयार करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(i) "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय (https://yas.nic.in) और भारतीय खेल प्राधिकरण (https://sportsauthorityofindia.nic.in) की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) और मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in/state-wise-khelo-india-centers पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के "खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास" घटक के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) के रूप में की जाती है। इन एथलीटों का चयन खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसी स्पर्धाओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन

ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खुले और पारदर्शी चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाता है। खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) का चयन प्रतिभा पहचान विकास समिति (टीआईडीसी) द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के माध्यम से मेधा के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक के तहत पहचान की गई प्रतिभाओं को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रु. [पॉकेट भत्ता (ओपीए) के रूप में 1.20 लाख रु. सहित] की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बच्चों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना शुरू की है, जिसमें खेल, शारीरिक गतिविधियाँ, योग और सह-पाठयक्रम गतिविधियाँ शामिल हैं। इस योजना के तहत, सरकारी स्कूलों को खेल उपकरणों के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रु. से लेकर 25,000 रु. तक का अनुदान दिया जाता है, साथ ही, अगर खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में कम से कम दो छात्र पदक जीतते हैं, तो प्रति स्कूल 25,000 रु. तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, दैनिक खेल गतिविधियों, देशज खेलों, आयु-उपयुक्त उपकरणों की खरीद, अवसंरचना विकास और खेल समितियों तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भूमिका पर जोर देने के लिए स्कीम के खेल दिशानिर्देशों को अगस्त 2023 में संशोधित किया गया था। इन अद्यतन दिशानिर्देशों को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

इस मंत्रालय की खेल स्कीमों के अंतर्गत विकसित और सहायता प्रदत्त खेल सुविधाएं तमिलनाडु राज्य सहित सभी के लिए हैं।

*****